FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **राववजिया** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ बडौदामेव**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/36/2024 दायर दिनांक 28.03.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर NL-01-L-8233 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी बडौदामेव जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 850 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर NL-01-L-8233 को यदि सुपुर्दगी पर दिये जावे तो मुकामी पुलिस को कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 27.05.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर	

२५/०३/१३

वकील मंत्री के मौखिक-पत्र पर
[illegible] तलब [illegible] पेश हुए
वकील मंत्री द्वारा निवेदित [illegible]
के प्रार्थनापत्र - पुनर्विचार [illegible]
किये जो तकनीकी रूप से [illegible]
है। S.H.O. कोतवाली को [illegible]
वापस पुनर्विचार में दी गई
अवधि [illegible] [illegible] पत्रावली
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)